न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 56 / 2025	2025 / 206	15.04.2025	30.04.2025

1– सुनीता कुमारी पत्नी सत्यपाल जाति अहीर निवासी ग्राम रूंध झामूवास उर्फ दौलतपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

(अपीलान्ट)

बनाम

1– तहसीलदार, किशनगढबास जिला खैरथल तिजारा। (राजस्थान)

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध आज्ञा नायब तहसीलदार किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 986 वाके ग्राम रूंध झामूवास उर्फ दौलतपुर निर्णय दिनाक 21.03.2025 जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री रामपाल यादव – वकील अपीलान्ट

–: निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार किशनगढबास के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 986 निर्णय दिनांक 21.03.2025 ग्राम रूंध झामूवास उर्फ दौलतपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण में वर्णित खातेदार बाबूलाल पुत्र सोनियाराम कोम अहीर निवासी रूंध झामूवास से आराजी मिन अपीलान्ट ने जर्ये रजि0 बयनामा दिनाक 21.01.2025 को खरीद की गयी है। यह आराजी विकेता की ओर से बैक में रहन थी, जिन्होने बैक का ऋण चुकता कर नोडयूज प्राप्त कर लिया ओर नोडयूज के आधार पर ही उपपंजियक द्वारा बयनामा पंजीबंद्व किया गया। मगर बयनामा में धारा 39 का नोट रहन का अंकन कर दिया चूकि उन दिनो राजस्व कर्मचारीगण पटवारी हल्का द्वारा हडताल की हुई थी। इस लिए फक का नामान्तकरण नही हो सका व बयनामा नोडयूज के आधार पर ही करवाया गया था। तत्पश्चात पटवारी हल्का ने जमाबन्दी में फक का नामान्तकरण संख्या 985 स्वीकार होने पर अंकन कर दिया। जब नामान्तकरण संख्या 985 रहन मुक्त का स्वीकार हो चुका तो यह नामान्तकरण संख्या 986 कानून स्वीकार किये जाने योग्य था, मगर तहत अदालत नायब तहसीलदार द्वारा गलत तौर पर नामान्तकरण अस्वीकार करने में अहम गलती की गयी है। बयनामा के साथ बैक का नोडयूज पेश किया गया था, धारा 39 का नोट महत्वहीन है। तहत अदालत द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को सूनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया, न ही नोडयूज पेश करने बाबत कोई सूचना दी गयी बल्कि विधि एंव दस्तावेज के विवरीत नामान्तकरण खारिज करने में अहम गलती की गयी है। आराजी पर आज दिन किसी भी प्रकार का कोई बैक ऋण नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.03.2025 निरस्त किया जाकर मुताबिक बयनामा के नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि खातेदार बाबूलाल निवासी रूंध झामूवास से आराजी जर्ये रजि0 बयनामा दिनाक 21.01.2025 को खरीद की आराजी विकेता की ओर से बैक में रहन थी, बैक का ऋण चुकता कर नोडयूज प्राप्त कर लिया ओर नोडयूज के आधार पर ही उपपंजियक द्वारा बयनामा पंजीबंद्व किया गया। मगर बयनामा में धारा 39 का नोट रहन का अंकन कर दिया। बयनामा नोडयूज के आधार पर ही करवाया गया था। तत्पश्चात पटवारी हल्का ने जमाबन्दी में फक का

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)

नामान्तकरण संख्या 985 स्वीकार होने पर अंकन कर दिया। जब नामान्तकरण संख्या 985 दिनाक 28.01.2025 को दर्ज किया जाकर दिनाक 10.02.2025 को रहन मुक्त का स्वीकार हो चुका ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 986 निर्णय दिनाक 21.03.2025 वाके ग्राम रूंध झामूवास तहसील किशनगढबास न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, प्रकरण में पक्षकार द्वारा किये गये बयनामा में वर्णित आराजीयात की पुनः जॉच कर मुताबिक बयनामा अपीलान्टान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.03.2025 नामान्तकरण संख्या 986 वाके ग्राम रूंध झामूवास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)
सत्यमेव जयते